>

Title: Need to facilitate implementation of rural development works in Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के अंतर्गत 73 गांव ऐसे हैं जो आजादी के 64 साल के बाद भी आज विकास की सुविधा से महरूम हैं एवं दयनीय जीवन जी रहे हैं। पानी के लिए मटकी लेकर इस से पन्द्रह किलोमीटर, शिक्षा हेतु दस से चालीस किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। राष्ट्रीय मरू उद्यान एक्ट के तहत इन 73 गांव के लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य रोक दिए गए हैं। इस एक्ट के कारण यहां के लोग अपने खेतों को सिंचाई के लिए ट्यूब बैल कनेक्शन नहीं लगा पा रहे हैं। इन्दिरा नहर योजना से सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी जमीन बेच नहीं सकते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के अभाव में ऋण भी नहीं ले सकते हैं। उनके घरों में बिजली पहुंचाने पर इस एक्ट से प्रतिबंध है। इस एक्ट के कारण अनेक लोग अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगर किसी को शिकायत हो तो सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी से सम्पर्क करना पड़ता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। यहां के लोगों कमी वित्तीय हालत इतनी खराब है कि वे बाड़मेर तक नहीं जा सकते हैं तो कैसे वे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाएंगे। इस एक्ट से जिन सुविधाओं पर पाबन्दी लगी है, वे विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं। इस सबके कारण यहां के लोग आन्दोलन करने के मूड में हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जो सुविधाएं यहां के किसानों को अन्य क्षेत्रों की तरह मिल सके, वैसी सुविधाएं पाने का हक यहां के लोगों को भी है।